(b) The information by specific category for landless labour is not available. However, according to 1991 Census (Provisional) the number of agricultural labourers, i.e those working on another person's land for wage is 74-65 million. According to NSS 43rd round, the average wage earnings per day received for agricultural operations by casual wage labourers and regular wage / salaried employees were Rs. 9.82 and Rs. 15.12 respectively during 1987.88.

(c) Besides development programmes in various sectors, there are special employment programmes like the Integrated Rural Development Programmes (IRDP) , Jawahar Rozgar Yojana(JRY) and Nehru Rozgar Yojana (NRY) to tackle the problem of unemployment.

उत्तर प्रदेश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

3983. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है तथा मैट्रिक, इन्टरपास, स्नातक, स्नातकोत्तर, पी. एच. डी., इंजीनियर, डाक्टर तथा तकनीकी योग्यताएं रखने वाले तथा अन्य श्रेणियों के अनुसार उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1992 में केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने की संभावना है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) 31.12.91 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले यह अनिवार्य नहीं कि उनमें सभी बेरोजगार हों, 27.68 लाख (अद्यतन उपलब्ध) थे। रोजगार चाहने वालों की शिक्षा-वार ब्यौरे संबंधी अद्यतन उपलब्ध सूचना 30.6.1990 से संबंधित है तथा यह संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार द्वारा चालू कैलेंडर वर्ष 1992 के दौरान उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराई जाने वाली संभावित नौकरियों से संबंधित अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, इस शताब्दी के अन्त तक लगभग पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रोजगार सृजन को आठवीं पंच वर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है।

सामान्य विकास प्रक्रिया में होने वाले रोजगार सृजन के अलावा, विशेष रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से भी अतिरिक्त रोजगार सृजन किया जाता है।

विवरण

30-6-1990 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों (मैट्रिक व उससे ऊपर) की संख्या

शैक्षणिक स्तर	संख्या (हजारों में)
रोजगार चाहने वाले कुल व्यक्ति : . .	3094.4
1. मैट्रिक से नीचे (अशिक्षितों सहित) .	1040.0
2. मैट्रिकुलेट .	764.1
3. वे व्यक्ति जिन्होंने हायर सैकेन्ड्री पास की है (इन्टरमीडिएट/स्नातक-पूर्व सहित) .	801.1
4. स्नातक कुल : .	405.1
(I) कला .	246.4

शैक्षणिक स्तर	संख्या हजारों में
(ii) विज्ञान .	49.0
(iii) वाणिज्य .	52.7
(iv) इंजीनियरी .	3.5
(v) चिकित्सा .	1.1
(vi) पशु चिकित्सा .	*
(vii) कृषि .	9.2
(viii) कानून .	2.5
(ix) शिक्षा .	38.9
(x) अन्य . .	1.8
5. स्नातकोत्तर : कुल : .	84.1
(i) कला . .	57.3
(ii) विज्ञान .	9.4
(iii) वाणिज्य .	11.5
(iv) इंजीनियरी .	0.3
(v) चिकित्सा .	0.2
(vi) पशु चिकित्सा .	*
(vii) कृषि .	0.7
(viii) कानून .	0.1
(ix) शिक्षा .	3.7
(x) अन्य . .	1.0

टिप्पणी :

1. * आंकड़े 50 से कम हैं।

2. यह हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

Necessity of a Labour Officer in GM

3984. SHRI JOHN F. FERNANDES : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are awara that there-is no labour officer stationed in Goa for issuing emigration clearance for persons going abroad for employment as a result they face hardships and they to go to Bombay for this purpose ; and

(b) if so, whether a labour officer will be appointed in the office premises of passport office at Panaji on regular basis ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRF PABAN SINGH GHATOWAR) :
(a) and (b). Under the Emigration Act, 1983 Protectors of Emigrants (POEs) at Delhi, Bombiy, Chandigarh, Calcutta, Cochin, Trivandrium and Madras can grant emigration clearance to workers going abroad for employment pruposes. There is no Officer posted as Protector of Emigrants in Goa for granting emigration clearance. The emigration clearnace of persons from Goa is granted by the Protector of Emignrats, Bombay.

Government have recently simplified the emigration procedure by bringing, the following six additional categories of workers under Emigration Check Not Required (ECNR) for a period of six months with effect from 4.10.1991 :—

1. Supervisors (all professions)
2. Skilled workers (all professions)
3. Semi-skilled workers (all professions)?
4. Light-Medium-Heavy Vehicle Driver
5. Clerical workers of all categories-including stenographers, storekeepers,, time-keepers, typists, etc.
6. Cooks excluding those in domestics empoloyment.

The workers falling under the above categories can either approach Protectors of Emigrants or Passport Offices* for Emigration Check Not Required (ECNR) endorsement on their passports. In the circumstances it is not considered necessary for the present to appoint an officer as Protector of Emigrants at Panaji for the purpose-of granting emigration clearance.

Short Listing the Proposals of T.V. Serials

3985. DR SUBRAMANIAN SWAMY : Will the Minister OP INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Doordarshan has shortlisted some proposals for TV serials from list of 3544 proposals received ;